पेश पर भेजी
दिनांक 23/11/17

15/11/17 पक्षकारो द्वारा राजीनामा पेश होने पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई, पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया डिक्टेट कर सुनाया गया। सुन समझ कर स्वीकार किया प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री बी.आर. बिश्नोई एवम् वादी की पहचान वकील श्री ओंकरसिंह गहलोत ने की राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

निर्णय आज पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया बाद अरीये राजीनामा डिक्री किया गया।

LTI मोहनलाल
Identified by
LTI मिठालाल
LTI शंकरलाल
हगामाराम
कालूराम

न्यायिक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

(38)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
पीठसीन अधिकारी :– रोहित कुमार आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :–157 / 2017

वादी :

मोहनलाल पुत्र श्री सुखराम उम्र 50 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गांव पीथावास तहसील जोधपुर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः

1. मिश्रीलाल पुत्र श्री सुखराम
2. बंशीलाल पुत्र सुखराम
3. पानकी पुत्री श्री सुखराम
4. सुवटी पुत्री श्री सुखराम जातियान मेघवाल निवासी गण गांव पीथावास तहसील व जिला जोधपुर
5. ढगलाराम पुत्र श्री बल्लाराम
6. कालूराम पुत्र श्री बल्लाराम

जातियान मेघवाल निवासीगण गांव पीथावास तहसील व जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक **14.11.2017**

उपस्थिति

1. वादीगण स्वयंमय अधिवक्ता शंकरसिंह गहलोत एवं आसूलाल भाटी
2. प्रतिवादीगण स्वंय मय अधिवक्ता बी.आर विश्नोई उपस्थित।

1. वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया कि गांव पीथावास के खसरा नं. 94 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं. 309 रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी वादी को पिता सुखराम की होने से प्रतिवादी गण संख्या 5 व 6 ने गैर कानूनी व गलत रूप से इन्द्राज किया गया। जो विवादग्रस्त भूमि को आगे से आगे अन्य तिसरे अजनबी व्यकित को बेचान नहीं करें और न ही राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। वादी को 1/2 हिस्से पुस्तेनी होने से खातेदारी घोषणा करवाने की प्रार्थना की।
2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर पक्षकारों ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया राजीनामा को तस्दीक किया जाकर शामिल मिशल किया गया पक्षकारों ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि वादी ने प्रतिवादीण के विरूद्व एक राजस्व वाद बाबत रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष अनवान प्रकरण विचाराधीन है

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 157 / 2017
मोहनलाल बनाम मिश्रीलाल व अन्य
दिनांक 14.11.2017

3. यह है कि अनवान प्रकरण में पक्षकारों ने आपसी समझाईश तथा लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है और प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है।

4. यह है कि पक्षकारों ने अनवान प्रकरण में खसरा नं. 94 रकबा 23बीघा 14 बिस्वा की कृषि भूमि में से पक्षकार ढगलाराम और कालूराम पुत्र बल्लाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में नाम गलत दर्ज हो गया था। इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अनवान प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

5. यह है कि पक्षकार ढगलाराम और कालूराम पुत्र बल्लाराम अपनी इच्छा से राजी खुशी से खसरा नं. 94रकबा 23बीघा 14बिस्वा की कृषि भूमि में से नाम हटा रहे है क्योंकि खसरा नं. 94 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा की कृषि भूमि के हकदार खातेदार मोहनलाल, मिश्रीलाल, बंशीलाल, पानकी,सुवटी ही है। इस बात को हम स्वीकार करते है। इस कारण पक्षकारों में किसी प्रकार का उक्त खसरा नं.94रकबा 23बीघा 14बिस्वा में नही रहा है। और पक्षकार आगे मुकदमा चलाना नहीं चाहते है।

6. यह है कि पक्षकार प्रतिवादीगण ढगलाराम व कालूराम पुत्र बल्लाराम का खसरा नं. 94 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा की कृषि भूमि से हटा कर केवल मात्र मोहनलाल, मिश्रीलाल,बंशीलाल,पानकी,व सुवटी को ही उक्त खसरे की भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। इसमें ढगलाराम व कालूराम की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

7. यह है कि खसरा नं. 94 रकबा 23बीघा 14 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि वादी और प्रतिवादीगण सं.1से 4के पिता सुखराम की पैतृक भूमि थी व आज भी है हमारा नाम ढगलाराम व कालूराम के नाम गलत दर्ज हो गये थे। जो हम ढगलाराम व कालूराम अपना नाम राजीखुशी व इच्छा से हटाकर राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण जरिये राजीनामा फैसल शुमार करने की प्रार्थना की । एवं राजीनामा को सही मानकर स्वीकार पेश किया है जिसको तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली गया है।

अतः दोनो पक्षकारों द्वारा लिखित राजीनामा को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जाकर गांव पीथावास खसरा नं. 94 रकबा 23बीघा 14 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तथा प्रतिवादीगण ढगलाराम व कालूराम का नाम हटाकर सम्पूर्ण खसरें की भूमि में मोहनलाल, मिश्रीलाल, बंशीलाल, पानकी व सुवटी के नाम अधिकार अभिलेखों में अंकन किया जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जोधपुर

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 157/2017
मोहनलाल बनाम मिश्रीलाल व अन्य
दिनांक 14.11.2017

(40)

प्राथमिक डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– रोहित कुमार आर.ए.एस
वादी : मोहनलाल पुत्र श्री सुखराम उम्र 50 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गांव पीथावास तहसील जोधपुर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः

1. मिश्रीलाल पुत्र श्री सुखराम
2. बंशीलाल पुत्र सुखराम
3. पानकी पुत्री श्री सुखराम
4. सुवटी पुत्री श्री सुखराम जातियान मेघवाल निवासीगण गांव पीथावास तहसील व जिला जोधपुर
5. ढगलाराम पुत्र श्री बल्लाराम
6. कालूराम पुत्र श्री बल्लाराम

जातियान मेघवाल निवासीगण गांव पीथावास तहसील व जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के मुकदमा नं0 157/17 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादीगण व प्रतिवादीगण स्वंय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि:–

अतः दोनो पक्षकारों द्वारा लिखित राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में राजीनामा स्वीकार कर खसरा नं0 94 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा में से ढगलाराम व कालूराम का नाम हटा कर सम्पूर्ण खसरे की भूमि में मोहनलाल, मिश्रीलाल,बंशीलाल,पानकी और सुवटी का नाम खातेदारी भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है माफिक राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार अमल दरामद किया जावें। एवंम् वादी के नाम से घोषित खातेदारी भूमि का डिक्री पर्चा जारी हो डिक्री पर्चा के अनुसार तहसीलदार जोधपुर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो।

लीज.......x...... मुबलिक........x......... बाबत......x...... खर्चा इस मुकदमें में मय सुदा वगैरह ....x...... की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.........x...... को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख 23.11.17 की जारी की गई।

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प जारी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा अह्वान् बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकिल फीस कमिश्नर बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक		

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)

Scanned by CamScanner